

142. राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको करता है?

- (a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
(c) मुख्यमंत्री (d) उच्च न्यायालय

VDO-2021 Exam Date 27.12.2021 Shift-I

Ans. (b) – राजस्थान लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही माननीय राज्यपाल को अवगत करवाने के लिए प्रतिवर्ष उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। माननीय राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन अपने ज्ञापन सहित राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हैं।

143. राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

- (a) 1973 (b) 1977
(c) 1983 (d) 1985

VDO-2021 (Exam Date. 28.12.21) Shift-IV

Ans. (a) – सर्वप्रथम अध्यादेश के रूप में 3 फरवरी 1973 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ। 26 मार्च 1973 से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत यह अधिनियम के रूप में वर्तमान तक प्रभावी है।

(ix) राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

144. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिह्नित कीजिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे?

- (a) कांता कुमारी भटनागर (b) गोपाल कृष्ण व्यास
(c) सैय्यद सगीर अहमद (d) नागेन्द्र कुमार जैन

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-C

Ans. (c) : राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद सगीर अहमद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कान्ता भटनागर थे। सैय्यद सगीर अहमद तीसरे अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल 2001 से 2004 तक था।

145. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है?

- (a) राज्यपाल (b) मुख्यमंत्री
(c) गृह मंत्री (d) विपक्ष का नेता

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-C

Ans. (a) : राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है जिसमें सदस्य के रूप में गृहमंत्री, नेता विपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तथा राज्य में विधान परिषद होने पर विधान परिषद के अध्यक्ष एवं नेता विपक्ष शामिल होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी, 1999 ई. में की गयी। इसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होते हैं। वर्ष 2006 में संशोधन द्वारा एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

146. राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बार में अधोलिखित कथनों को पढ़िए-

(a) आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जाँच प्रारंभ कर सकता है।

(b) किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच प्रारंभ कर सकता है।

सही कूट का चयन कीजिए-

- (A) केवल कथन (A) सत्य है
(B) केवल कथन (B) सत्य है
(C) न तो कथन (A) ना ही (B) सत्य है
(D) दोनों कथन सत्य हैं

Kanisht Abhiyanta (Civil) 18.05.2022

Ans. (d) : राजस्थान, राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी, 1999 ई. को एक अधिसूचना द्वारा 'राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। यह आयोग मानव अधिकारों के अल्लंघन में स्वतः ही जाँच प्रारंभ कर सकता है साथ ही किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच प्रारंभ कर सकता है।

147. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है?

- (a) मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी
(b) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(c) प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति
(d) पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी

RPSC RAS (Pre) 2021

Motor Vahan Upnirikshan 15/09/2021

Ans. (b) : राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अधिकृत है। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य- राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा करना है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से अपना अधिकार प्राप्त करता है।

148. राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया

- (a) 2 अक्टूबर, 1990 को (b) 18 जनवरी, 1999 को
(c) 26 जनवरी, 1995 को (d) 10 दिसम्बर, 1998 को

सेकेण्ड ग्रेड-संस्कृत शिक्षा-17-02-2019

RPSC-2017

RPSC College Lacture (Sanskrit Education) 2015

Ans. (b) : राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के प्रावधानानुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं चार सदस्य रखे गये। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य का प्रावधान किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है।